

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03/विविध-07-104/2013...../ राँची, दिनांक : .....

**आदेश**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-1892 दिनांक 25.03.2013 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम<br>/आई.डी. कोड/जन्म<br>तिथि/ कार्यालय का नाम        | प्रथम योगदान<br>की तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के<br>फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना<br>के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय<br>उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं<br>वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे<br>रू. 7600/- देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                      | 3                       | 4                                                                                                                                                                                 | 5         |
| 1       | श्री फेकन साह<br>जे 4021/ 02.11.50/ सिंचाई<br>प्रमंडल सं.-02, जामताड़ा | 19.12.74                | 01.09.08                                                                                                                                                                          |           |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल सं.-02, जामताड़ा/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

595

राँची, दिनांक :-

22-11-14

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03/विविध-07-104/2013...../ राँची, दिनांक : .....

**आदेश**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6996 दिनांक 07.12.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम<br>/आई.डी. कोड/जन्म तिथि/<br>कार्यालय का नाम                     | योगदान की<br>तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के<br>फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना<br>के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय<br>उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं<br>वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे<br>रू. 7600/- देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                   | 3                 | 4                                                                                                                                                                                 | 5         |
| 1       | श्री भोला प्रसाद मंडल<br>जे 3758/30.06.49/ सिंचाई<br>प्रमंडल सं.-01, बरहेट साहेबगंज | 05.04.74          | 01.09.08                                                                                                                                                                          |           |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-  
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल सं.-01, बरहेट, साहेबगंज को श्री भोला प्रसाद मंडल, कनीय अभियन्ता का सेवापुस्त मूल तीन भाग के साथ/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 634 राँची, दिनांक :- 22-1-14  
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03 / विविध-07-104 / 2013..... / राँची, दिनांक : ..... /

**आदेश**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6674 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम<br>/आई.डी. कोड/जन्म तिथि/<br>कार्यालय का नाम               | नियुक्ति की<br>तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के<br>फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना<br>के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय<br>उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं<br>वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे<br>रु. 7600/- देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                             | 3                   | 4                                                                                                                                                                                 | 5         |
| 1       | श्री मु. सज्जाद हुसैन<br>जे 6686 / 03.03.57 / लघु<br>सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला | 21.02.79            | 21.02.09                                                                                                                                                                          |           |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई राँची / कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला को श्री मु. सज्जाद हुसैन, कनीय अभियन्ता का सेवापुस्त मूल (जिल्द में) के साथ / संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

636

राँची, दिनांक :-

24-7-14

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03/विविध-07-87/2013..... / राँची, दिनांक : .....

**आदेश**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 31.12.1981, 5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति/ ए.सी.पी. योजना के तहत औपबधिक रूप से स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

प्रथम कालबद्ध/ प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. सम्पुष्टि हेतु कनीय अभियंताओं की सूची।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम<br>/आई.डी. कोड/जन्म<br>तिथि/ वर्तमान<br>पदस्थापन/नियुक्ति तिथि                     | प्रथम<br>कालबद्ध<br>प्रोन्नति<br>की तिथि | प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति<br>का आदेश संख्या | 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के<br>फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के<br>तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय<br>उत्क्रमण वेतनमान 10000-15200<br>देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                                     | 3                                        | 4                                         | 5                                                                                                                                      | 6         |
| 1       | स्व. शंभुनाथ विश्वकर्मा<br>जे 3861/12.12.45/केन्द्रीय<br>भण्डार एवं शिविर प्रमंडल,<br>चांडिल/19.04.74 | 19.04.84                                 | 2776/15.09.88                             | 09.08.99                                                                                                                               |           |

2. उक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. ए०सी०पी० योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर/ अधीक्षण अभियंता, सुवर्णरेखा बौध अंचल, चांडिल/ कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भण्डार एवं शिविर प्रमंडल, चांडिल को श्री शंभुनाथ विश्वकर्मा, कनीय अभियंता का सेवापुस्त दो भाग के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

638

राँची, दिनांक :-

24-1-14

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र०)

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03 / विविध-07-14 / 2014..... / राँची, दिनांक : .....

**आदेश**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम<br>/ आई.डी. कोड / जन्म तिथि /<br>कार्यालय का नाम   | नियुक्ति की<br>तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के<br>फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना<br>के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय<br>उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं<br>वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे<br>रु. 7600/- देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                     | 3                   | 4                                                                                                                                                                                 | 5         |
| 1       | श्री सरयुग पंडित<br>वरीयता 451एम/ 10.02.49 /<br>सिंचाई प्रमंडल, देवघर | 01.01.74            | 01.09.08                                                                                                                                                                          |           |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता(यौ.), जल संसाधन विभाग, राँची / कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई यंत्रिक प्रमंडल, देवघर को श्री सरयुग पंडित, कनीय अभियन्ता का सेवापुस्त तीन भाग के साथ / संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

658

राँची, दिनांक :-

24.11.14

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, राँची को उनके पत्रांक-4740 दिनांक 29.11.13 के प्रसंग में / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03 / विविध-07-106 / 2013..... / राँची, दिनांक : ..... /

**आदेश**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 31.12.1981, 5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति / ए.सी.पी. योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

प्रथम कालबद्ध / प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. सम्पुष्टि हेतु कनीय अभियंताओं की सूची।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम<br>/ आई.डी. कोड / जन्म<br>तिथि / वर्तमान<br>पदस्थापन / नियुक्ति<br>तिथि | प्रथम<br>कालबद्ध<br>प्रोन्नति<br>की तिथि | प्रथम<br>कालबद्ध<br>प्रोन्नति<br>का<br>आदेश<br>संख्या | 12 वर्ष की सेवा पूर्ण<br>करने के फलस्वरूप<br>ए.सी.पी. योजना के<br>तहत स्वीकृत प्रथम<br>वित्तीय उत्क्रमण<br>वेतनमान 6500-10500<br>देय तिथि | 24 वर्ष की सेवा पूर्ण<br>करने के फलस्वरूप<br>ए.सी.पी. योजना के<br>तहत स्वीकृत द्वितीय<br>वित्तीय उत्क्रमण<br>वेतनमान 10000-<br>15200 देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                          | 3                                        | 4                                                     | 5                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                             | 7         |
| 1       | श्री जगनारायण सिंह<br>जे 5890 / 23.05.52 /<br>औरंगा निर्माण अंचल,<br>मेदिनीनगर / 07.02.79  | 07.02.89                                 | 84 /<br>29.01.91                                      | 09.08.99                                                                                                                                  | 07.02.03                                                                                                                                      |           |

2. उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. ए०सी०पी० योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय राचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / अधीक्षण अभियंता, औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर / कार्यपालक अभियंता, औरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी को श्री जगनारायण सिंह, कनीय अभियंता का सेवापुस्त तीन भाग के साथ / संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :- 691 राँची, दिनांक :- 27-7-14

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब/इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र०)

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03 / विविध-07-111 / 2013..... / राँची, दिनांक : ..... /

**आदेश**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-542 दिनांक 30.01.2013 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम<br>/आई.डी. कोड/जन्म तिथि/<br>कार्यालय का नाम         | नियुक्ति की<br>तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के<br>फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना<br>के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय<br>उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं<br>वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे<br>रु. 7600/- देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                       | 3                   | 4                                                                                                                                                                                 | 5         |
| 1       | श्री देवेन्द्र कुमार सिंह<br>जे 3263 / 04.06.51 /<br>बराज अंचल, गालूडीह | 16.07.73<br>अपराहन  | 01.09.08                                                                                                                                                                          |           |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर / अधीक्षण अभियंता, बराज अंचल, गालूडीह को श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियंता का सेवापुस्त तीन भाग(मूल) के साथ / संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

693

राँची, दिनांक :-

27-11-14

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03 / विविध-07-115 / 2013..... / राँची, दिनांक : ..... /

**आदेश**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम<br>/आई.डी. कोड/जन्म तिथि/<br>कार्यालय का नाम                                   | नियुक्ति की<br>तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के<br>फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना<br>के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय<br>उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं<br>वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे<br>रु. 7600/- देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                   | 4                                                                                                                                                                                 | 5         |
| 1       | श्री राजेन्द्र पूर्व<br>5400ए/ 02.08.52/<br>सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, गांगूडीह<br>मुख्यालय जमशेदपुर | 02.02.79            | 02.02.09                                                                                                                                                                          |           |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-  
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर / कार्यपालक अभियन्ता, सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, गांगूडीह मुख्यालय, जमशेदपुर को श्री राजेन्द्र पूर्व, कनीय अभियन्ता का सेवापुस्त दो भाग(मूल) के साथ / संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 694 राँची, दिनांक :- 27/11/14  
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03/विविध-07-98/2013..... / राँची, दिनांक : .....

**आदेश**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबन्धिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम<br>/आई.डी. कोड/जन्म तिथि/<br>कार्यालय का नाम                                                                              | नियुक्ति की<br>तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के<br>फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना<br>के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय<br>उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं<br>वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे<br>रु. 7600/- देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                                                                            | 3                   | 4                                                                                                                                                                                 | 5         |
| 1       | श्री सियाराम प्रसाद पाल<br>जे 6949 / 19.06.59 / बौध एवं<br>बराज रूपांकण प्रमंडल,<br>जमशेदपुर सम्प्रति लघु वितरणी<br>प्रमंडल सं.-08, जमशेदपुर | 22.03.79            | 22.03.09                                                                                                                                                                          |           |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-  
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर / कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल सं.-08, जमशेदपुर को श्री सियाराम प्रसाद पाल, कनीय अभियंता का सेवापुस्त तीन भाग(मूल) के साथ / संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 695 राँची, दिनांक :- 27-1-14  
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)